संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2015

विषयः- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्यौगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली मेगा परियोजनाओं को दिये जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अवस्थापना एवं औद्यौगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजना की स्थापना हेतु केस-टू-केस आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या-402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 सपठित शासनादेश संख्या 910/77-6-14-05(एम)/2013 दिनांक 4.7.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्राविधानों में निम्नवत संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:-

1.1 शासनादेश संख्या 402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 में वर्णित प्राविधानों में कतिपय प्राविधान निम्नवत् संशोधित किये जाते हैं:-

1.1.1 प्रस्तर 12.1 का संशोधन - "मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय-पत्र/इच्छा पत्र की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।"

1.1.2 प्रस्तर 12.6 का संशोधन - "मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा किसी शिडयूल्ड वाणिज्यक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा इन बैंकों के नियन्त्रणाधीन अथवा केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा अप्रेजल रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। यदि इकाई द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण नहीं प्राप्त किया जा रहा हो तो भी इकाई को उक्त वर्णित संस्थाओ में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल कराना अनिवार्य होगा। प्राधिकृत संस्था के माध्यम से पात्र इकाई को परियोजनान्तर्गत वित्तीय सुविधायें/वित्तीय उपादान उपलब्ध कराया जाना है अतः प्राधिकृत संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल नहीं किया जायेगा।"

1.1.3 प्रस्तर 12.7 का संशोधन - "यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस अर्ह परियोजना को मेगा परियोजना नीति के अंतर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाएं, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेजल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट जारी होने के दिनॉक से आगामी 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के पश्चात, परंतु अतिंम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अंतर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएँ इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी कि इकाई द्वारा कम से कम किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।"

1.1.4 प्रस्तर 13.5 का संशोधन - "प्राधिकृत संस्था से प्राप्त इकाई के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मा. मंत्रि-परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। मा. मंत्रि-परिषद द्वारा इकाई की पात्रता को स्वीकृति प्रदान किये जाने की दशा में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मेगा प्रोजेक्ट हेतु मा. मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत समस्त सुविधाओं/रियायतों के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों/ प्राधिकरणों/ निगमों आदि को उनके द्वारा आवश्यक शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जायेगा। इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्राधिकृत संस्था को लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने हेतु निदेशित किया जाएगा जिसमे शासन द्वारा अनुमोदित समस्त सुविधाओं एवं रियायतों का विवरण हो तथा सभी नियम व शर्तो का समावेश हो।"

1.1.5 उक्त शासनादेश दिनांक 03.03.2014 की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

1.2 प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 में वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाओं को भी समाविष्ट किया गया है:-

1.2.1 मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा किये गये पूँजी निवेश (प्रार्थना प्रपत्र का प्रारूप 1 एवं 2) को साविधिक (Statutory) आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा कम्पनी के अधिकृत निदेशक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थना प्रपत्र के अन्य प्रारूप को कम्पनी के अधिकृत निदेशक एवं साविधिक (Statutory) आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना आवश्यक होगा। जब कि सुविधा का लाभ (आवंटन/आहरण) लेने हेतु शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 12.4 में इंगित शर्त के अनुसार इकाई द्वारा किये गये पूंजी निवेश का सत्यापन स्टेट्यूटरी आडिटर द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

1.2.2 शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 4 में मेगा परियोजना की परिभाषा में विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयों को भी

सम्मिलित किया गया है। अतः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयों को भी विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों में एतद्द्वारा सम्मिलित करते हुए इस सीमा तक संशोधित माना जाये।

1.3 शासनादेश संख्या 910/77-6-14-05(एम)/2013 दिनांक 4.7.2014 के द्वारा पिकप को मेगा परियोजनाओं हेतु प्राधिकृत संस्था एवं इम्पावर्ड कमेटी के सचिवालय के रूप में नामित किया गया है। शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था के रूप में प्रदत्त जिम्मेदारी का वहन करने तथा इस कार्य को सम्पादित करने में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं द्वारा अनुमन्य सुविधाओं को प्राप्त करते समय प्राधिकृत संस्था-पिकप को मात्र 01 प्रतिशत का व्यय प्रदान किया जाएगा। पिकप 01 प्रतिशत का यह व्यय इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाओं की राशि में से घटाने के पश्चात शेष वितरित करेगा।

1.4 राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर 9 मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसका विवरण अनुलग्नक-1 पर है तथा इन परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-2 पर है।

1.5 जिन 9 इकाईयों को एतद्द्वारा रियायतें/सुविधायें प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधायें प्राधिकृत संस्था द्वारा शासनादेश सं-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 14.1 के प्राविधानों के अनुपालन करते हुए वितरित की जायेगी।

1.6 सम्बन्धित विभागों द्वारा सन्दर्भित 9 इकाइयों हेतु अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जायेंगे।

1.7 किसी भी प्रकार की प्रकिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

<u>संख्याः770(1)/77-6-15-05(एम)/2013 टी0सी0, तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

5. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
10. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या:770(2)/77-6-15-05(एम)/2013 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0 का अनुलग्नक-1

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस के आधार पर 9 मेगा परियोजनाओं को अनुमोदित विशेष सुविधायें एवं रियायतें

क्र.सं.	प्रदान की जाने वाली सुविधा का विवरण	पात्रता	सुविधा की सीमा	
			श्रेणी-1 रू0 200 करोड़ अथवा अधिक किन्तु रू0 500 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई	श्रेणी-2 रू0 500 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई
अ-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 1416/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.IV दि0 30.11.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं, को वैट/सी0एस0टी अथवा भविष्य में लागू किये जाने वाले जी0एस0टी0 इत्यादि (टैक्स, जो किसी भी नाम से हों) में निहित प्रदेश सरकार के अंश की प्रतिपूर्ति	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी मण्डलों में स्थापित पात्र इकाईयों	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक
		शासनादेश संख्या-1416/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.IV दि0 30.11.2012 में इंगित पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल के सभी जिले।	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक
ब-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08	प्रदेश में स्थापित सभी पात्र मेगा इकाईयाँ	औद्योगिक इकाईयों को शिड्यूल्ड बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई	औद्योगिक इकाईयों को शिड्यूल्ड बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई

	(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं को पूंजीगत ब्याज उपादान		की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली समस्त पात्र इकाईयो हेतु प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि की प्रतिपूर्ति अथवा रू0 2 करोड़ जो भी कम हो प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक अथवा अधिकतम रू0 10 करोड़ प्रति यूनिट देय होगी। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।	की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली समस्त पात्र इकाईयो द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक ब्याज उपादान की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सुविधा की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा संगत पिछले वित्तीय वर्ष में जमा कराए गए वैट/जीएसटी/सीएसटी में प्रदेश के अंश का 20 प्रतिशत से अधिक न हो। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।
स-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-क.नि.-7-79/11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं को स्टाम्प शुल्क की सुविधा	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं को परियोजना हेतु क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
द-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें विस्तारीकरण/	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान

	1456/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.II दिनांक 23.01.2013 के स्थान पर ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति की सुविधा	विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं जिनके द्वारा 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हो। उनके द्वारा इन श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

नोटः-

1. लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि इकाई द्वारा परियोजना में किसी प्रकार के फेर-बदल, कास्ट आफ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के बदलाव जिससे इकाई की श्रेणी में अन्तर आता है, लेटर आफ कम्फर्ट में इंगित शर्तों में बदलाव इत्यादि के आवेदन को प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण (आवश्यकता पड़ने पर बाह्य दक्ष संस्था द्वारा) कर निर्णय हेतु इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

2. यदि किसी इकाई ने प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त की है तो उस इकाई को उसी प्रकार की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत प्रदान नहीं की जायेगी।

3. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यूनीफार्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस दशा में वैट/सी0एस0टी0 से सम्बन्धित स्वीकृत सुविधा केवल जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश तक ही प्रदान की जायेगी।

4. उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त सभी पात्र इकाईयाँ अवस्थापना एवं औद्यौगिक निवेश नीति-2012 में निहित अन्य मदों की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0 का अनुलग्नक-2

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस के आधार पर विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने हेतु अनुमोदित 9 मेगा परियोजनाओं की सूची

1. मे0 इण्डोगल्फ फर्टिलाईजर्स (मे0 आदित्य बिरला नूवो लि0 की एक इकाई), जगदीशपुर।
2. मे0 श्री सीमेंट लि0, बुलंदशहर।
3. मे0 वेकमेट इण्डिया लि0, मथुरा।
4. मे0 गैलेन्ट इस्पात लि0, गोरखपुर।
5. मे0 एसवारा पेपर्स लि0, मेरठ।
6. मे0 के0के0 मिल्क फ्रेश इण्डिया लि0, कानपुर देहात।
7. मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0, नोयडा।
8. मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0, राय बरेली।
9. *मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0, अलीगढ़ एवं रोजा।

* नोटः-

मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 द्वारा अलीगढ़ एवं रोजा में अलग-अलग इकाई स्थापित करने हेतु एक ही आवेदन इस आशय से किया गया है कि दोनों इकाईयाँ एक दूसरे से लिंक्ड हैं जिसमें परियोजना की कुल लागत रू0 682.46 करोड़ इंगित की गयी है। जब कि अलीगढ़ इकाई की कास्ट आफ प्रोजेक्ट रू0 592.44 करोड़ एवं रोजा इकाई की कास्ट आफ प्रोजेक्ट रू0 90.02 करोड़है। कम्पनी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रोजा इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले क्लिंकर को अलीगढ़ इकाई द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा अलीगढ़ इकाई द्वारा वांछित फ्लाई ऐश का कुछ हिस्सा रोजा थर्मल पावर प्लांट से उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार कम्पनी ने दोनों इकाईयों को एक दूसरे से लिंक्ड बताया है। अतः इस प्रकार की दो भिन्न स्थानों पर स्थापित इकाईयों को एक मेगा परियोजना मानने हेतु आवेदन पर इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर एक मेगा परियोजना मानने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।